पत्रांक–योजना बजट–42/2025 794 /प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना–15, दिनांक–20/02/2025

विषय :– वित्तीय वर्ष 2024–25 में इको पर्यटन एवं पार्क का विकास योजनान्तर्गत राजगीर जू सफारी, नालंदा में सोविनियर शॉप, फूड डिस्ट्रिब्यूशन काउण्टर एवं जोनल फेंसिंग हेतु एम.एस. फेंसिंग कार्य हेतु कुल ₹203.13 लाख (दो करोड़ तीन लाख तेरह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की अनुमति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2024–25 में इको पर्यटन एवं पार्क का विकास योजनान्तर्गत राजगीर जू सफारी, नालंदा में सोविनियर शॉप, फूड डिस्ट्रिब्यूशन काउण्टर एवं जोनल फेंसिंग हेतु एम.एस. फेंसिंग कार्य हेतु कुल ₹203.13 लाख (दो करोड़ तीन लाख तेरह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक–56 दिनांक–20.01.2025 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना/प्राक्कलन जो परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–02–पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्यजीव, लघु शीर्ष–112–सार्वजनिक उद्यान, उपशीर्ष–0101 इको पर्यटन एवं पार्क का विकास, मांग संख्या–19, विपत्र कोड–19–2406021120101 के विषय शीर्ष–0101.27.01–लघु कार्य तथा 0101.21.01–सामग्री एवं पूर्तियाँ के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक, राजगीर जू सफारी, नालन्दा होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबंद्ध कोषागार से की जायेगी।

4. इस योजना के क्रियान्वयन के समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर ही हो।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

6. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक–2221 दिनांक–15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 की कंडिका–15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

8. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

9. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।

11. इस योजना अन्तर्गत क्रियान्वित योजना का दो अलग–अलग रंगीन छाया चित्र तथा स्थल जाँच प्रमाण–पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के कार्यालय में संधारित किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

12. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।

13. जनसाधारण को अवगत कराये जाने एवं पारदर्शिता के निमित्त विवरणी सूचना पट्ट में प्रदर्शित किया जायेगा।

14. संचिका संख्या–42/2025 के पृष्ठ–05/टि० पर दिनांक–10.02.2025 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक–17.02.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।

15. संचिका संख्या–42/2025 के पृष्ठ–07/टि० पर दिनांक–18.02.2025 को विभागीय सचिव की स्वीकृति प्राप्त है एवं संचिका के पृष्ठ–08/टि० पर दिनांक–19.02.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन

20.2.25

(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–42/2025 794 /प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक–20/02/2025

प्रतिलिपि :– (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.2.25

(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–42/2025 794 /प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक–20/02/2025

प्रतिलिपि :– (सानुलग्नक) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

~~ह०/~~–

(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

राष्ट्रीय वन्यप्राणी पर्षद की स्थायी समिती की 68वी0 बैठक दिनांक–30.05.2022 में लिये गये निर्णय के आलोक मे राजगीर जू सफारी में सोविनियर शॉप एवं फूड डिस्ट्रिब्यूशन काउन्टर की स्थापना, राजगीर जू सफारी के प्रस्तावित अन्य आवश्यक कार्यों हेतु योजनाः–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के स्वीकृति आदेश संख्या–योजना बजट–45/2015–1782/प0व0 दिनांक–16.07.2021 के आलोक में राजगीर जू सफारी, नालन्दा का निर्माण किया गया है। राजगीर जू सफारी के दिनांक–16.02.2022 को उदघाट्न के पश्चात पर्यटक काफी संख्या में राजगीर जू सफारी का भ्रमण कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 3,77,036 पर्यटकों एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 3,42,087 पर्यटकों द्वारा राजगीर जू सफारी का भ्रमण किया गया है, जिससे क्रमशः 9.72 करोड़ एवं 9.46 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुयी है।

उच्चतम स्तर से दिये गये निदेशों के आलोक में नेचर सफारी के बसों का संचालन भी जू सफारी के रिसेप्शन जोन से किया जा रहा है, अतः नेचर सफारी के पर्यटक भी जू सफारी के रिसेप्शन जोन में उपलब्ध सुविधाऐं प्राप्त कर रहे है। वर्तमान में नेचर सफारी के पर्यटकों को सम्मिलित करते हुये प्रतिदिन लगभग दो हजार से चार हजार पर्यटक जू सफारी में आ रहे है। पर्यटकों की सुविधाओं के दृष्टिकोण से पर्यटकों से प्राप्त सुझावों एवं सरकार द्वारा प्राप्त निदेशों के आलोक में जू सफारी के रिसेप्शन जोन में उपलब्ध करायी गयी उच्च स्तर की सुविधाओं को यथावत रखने के साथ–साथ इनमें बढ़ोतरी के करने की आवश्यकता है।

प्रस्तावित कार्यों हेतु कुल 2,03,13,552/–(दो करोड़ तीन लाख तेरह हजार पाँच सौ बावन रूपये) योजना समर्पित की जा रही है, जो निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	कार्य का विवरण	प्राक्कलित राशि
1	राजगीर जू सफारी में सोविनियर शॉप एवं फूड डिस्ट्रिब्यूशन काउन्टर की स्थापना	1,58,22,400
2	राजगीर जू सफारी के सफारी प्लाजा एग्जिट से हार्बिवोर क्वारंटाईन के नज़दीक बाहरी चाहरदीवारी तक जोनल फेंसिंग हेतु एम0एस0 फेंसिंग का कार्य	44,91,152
	कुल राशि	**2,03,13,552**

1. **राजगीर जू सफारी में सोविनियर शॉप एवं फूड डिस्ट्रिब्यूशन काउन्टर की स्थापनाः–** राष्ट्रीय वन्यप्राणी पर्षद के स्थायी समिति की 33 वी बैठक दिनांक 14.03.2015 में राजगीर जू सफारी के निर्माण की अनुशंसा करने में यह शर्त्त अंकित की गयी है कि "Rescue center, Residential buildings, Cafeteria, shops etc should be away from the premises of the sanctuary"। उक्त शर्त्त में आवश्यक बदलाव हेतु दिनांक–13.08.2020 को आयोजित राज्य वन्यप्राणी परिषद् की 9वीं बैठक में राजगीर जू सफारी में फूड कोर्ट, सोविनियर शॉप, निदेशक एवं पशु–चिकित्सक के आवास तथा रात्रि सुरक्षा हेतु कार्यरत कर्मियों के ट्रांजिट आवास के निर्माण के प्रस्ताव पर बैठक की कार्यवाही संख्या–9.3.11 में उल्लेखित बिंदुओं के आलोक में सहमति व्यक्त करते हुये इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय वन्यप्राणी पर्षद के पुर्नविचार हेतु भेजे जाने हेतु अनुशंसा की गयी थी।

   पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वन्यप्राणी संभाग के पत्रांक–F.No.6-3/2015-WL दिनांक–24.06.2022 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार का पत्रांक–459 दिनांक–20.07.2022 एवं पत्रांक–86 दिनांक–07.02.2023 के द्वारा राष्ट्रीय वन्यप्राणी पर्षद की स्थायी समिती की 68वी0 बैठक दिनांक–30.05.2022 की कार्यवाही की कंडिका– 68.4.5 अन्तर्गत राजगीर जू सफारी में वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत सोविनियर शॉप की स्थापना एवं पर्यटकों के लिये पारंपरिक खादय सामग्री की व्यवस्था किये जाने पर अनुमति प्रदान किये जाने की सूचना दी गयी है।

   प्राप्त अनुमति के आलोक में राजगीर जू सफारी के रिसेप्शन एवं ओरिएन्टेशन जोन के पूर्व निर्मित एक्जिबिशन हॉल में सोविनियर शॉप तथा फूड डिस्ट्रिब्यूशन काउण्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य के लिये कुल रू0 1,58,22,400/– (रूपये एक करोड़ अंठावन लाख बाईस हजार चार सौ मात्र) राशि प्राक्कलित की जा रही है।

2. **राजगीर जू सफारी के सफारी प्लाजा एग्जिट से हार्बिवोर क्वारंटाईन के नज़दीक बाहरी चाहरदीवारी तक जोनल फेंसिंग हेतु एम0एस0 फेंसिंग का कार्यः–** राजगीर जू सफारी के सभी जोन को अलग–अलग करने हेतु जू सफारी के सफारी प्लाजा एग्जिट से हार्बिवोर क्वारंटाईन के नजदीक बाहरी चाहरदीवारी तक जोनल फेंसिंग हेतु 296 मी0 लम्बाई एवं 2.10 मी0 ऊंचाई में एम0एस0 फेंसिंग का कार्य किया जाना आवश्यक है। मैनेजमेंट जोन के इस लम्बाई में एम0एस0 फेंसिंग किये जाने से मैनेजमेंट जोन के आहार गोदाम एवं वन्यजीव अस्पताल जैसे संवेदनशील क्षेत्र में नीलगाय, जंगली सुअर इत्यादी का प्रकोप कम किया जा सकता है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिशा–निर्देशों के आलोक में वन्यजीव अस्पताल एवं आहार गोदाम के आस–पास के क्षेत्र किसी भी बाहरी वन्यजीव से मुक्त रहना चाहिये, जिससे वन्यजीवों से फैलने वाली बिमारियों को जू के अन्य वन्यजीवों में फैलने से बचाया जा सकता है। जिसके लिये कुल रू0 44,91,152/– (चौवालीस लाख इकानवे हजार एक सौ बावन मात्र) राशि प्राक्कलित की जा रही है।

यह योजना भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार के दिनांक–01.01.2022, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के दिनांक–01.04.2022 से लागु अनुसूची दर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिनांक–02.10.2024 से लागु मजदूरी दर तथा बाजार दर के आलोक में बनायी गयी है। इस कार्य की विशेष प्रकृति को देखते हुये समर्पित की जा रही कार्य योजना में कार्य की आवश्यकता तथा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली से प्राप्त सुझाव के आलोक में बदलाव किया जा सकता है, जिसे संसूचित किया जायेगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के द्वारा समय समय पर दिये गये निदेश के आलोक में भवन निर्माण विभाग के अनुसूची दरों में से ओवरहेड की राशि तथा मजदूरी मद में जीएसटी की राशि को घटाया गया है। साथ ही ऐसे कार्य जिन्हें विशेष प्रकृति के कारण Specialized Workers के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, ऐसे कार्यों के लिये मजदूरी मद में जीएसटी को यथावत रखा गया है।

राष्ट्रीय वन्यप्राणी पर्षद की स्थायी समिति की 68वी0 बैठक दिनांक–30.05.2022 में लिये गये निर्णय के आलोक मे राजगीर जू सफारी में सोविनियर शॉप एवं फूड डिस्ट्रिब्यूशन काउन्टर की स्थापना, राजगीर जू सफारी के प्रस्तावित अन्य आवश्यक कार्यों हेतु योजना का सारांश

कार्य का विवरण	वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये प्राक्कलित राशि
राजगीर जू सफारी के सोविनियर शॉप एवं फूड डिस्ट्रिब्यूशन काउन्टर की स्थापना एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु योजना	2,03,13,552/–

Forwarded

29/11/24
निदेशक,
राजगीर जू सफारी, नालन्दा।

Conservator of Forests
Patna Circle, Patna

वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना का पत्रांक 1974 दि0 10/12/24 तथा निदेशक, राजगीर जू सफारी नालन्दा के पत्रांक 1203 दि0 29.11.2023 द्वारा सक्षम स्तर से प्राप्त तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के सारांश पर वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना की अनुशंसा के आलोक में रु0 2,03,13,552/- (रु0 दो करोड़ तीन लाख तेरह हजार पाँच सौ बावन) मात्र के लिए तकनीकी अनुमोदन दी जाती है।

16.12.24
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
पटना